विचार बिन्दु

मुझे कोई पछतावा नहीं क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। –महात्मा गाँधी

चुनाव आयोग का रवैया आश्चर्यजनक है

प्रत्येक खेल में अंपायर या रेफरी होता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि खेल, नियमानुसार खेला जा रहा है एवं कोई भी दल या खिलाड़ी फाउल नहीं कर रहा है। फाउल होने पर चेतावनी दी जाती है एवं उसके बाद भी दोबारा ऐसा होने पर उसे खेल से बाहर तक कर दिया जाता है। लोकतंत्र का उत्सव, चुनाव भी एक प्रकार से खेल ही है, जिसके लिए नियम का उल्लेख आदर्श आचार संहिता में किया गया है। यहां पर रेफरी की भूमिका, चुनाव आयोग के द्वारा निभाई जाती है। उससे यह अपेक्षा रहती है कि वह पूर्ण निष्पक्षता के साथ, खेल के नियम के अनुसार चुनाव को संपन्न कराए और जो दल अथवा उम्मीदवार अधिक मत प्राप्त करे, उसे विजेता घोषित किया जाए। हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका छोड़कर स्वयं एक टीम के खिलाड़ी के रूप में खेलने लग गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक दल के द्वारा नियम तोड़ने पर नज़रअंदाज किया जाए एवं दूसरे के प्रति अलग दृष्टि से कड़ी कार्रवाई की जाए। नियमों की पालना करने में चुनाव आयोग असक्षम सिद्ध हुआ है। उसकी यह निष्क्रियता और अक्षमता, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने पर संदेह उत्पन्न करते हैं। जब चुनाव का आधार ही दोषपूर्ण होगा तो उसमें विजेता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पक्षपात पूर्ण रवैये और निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए ही स्वैच्छिक संगठन ए डी आर और कॉमन कॉज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसके द्वारा यह मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह मतदान होने के बाद बूथ वार आंकड़े जारी करे, जिससे यह पता लग सके कि किस मतदान केंद्र पर कितने मतदाता पंजीकृत थे एवं उनमें से कितनों ने मतदान किया? इस याचिका पर दिनांक 24 मई, 2024 को उच्चतम न्यायालय की दो सदस्य खंडपीठ ने कोई निर्णय नहीं दिया और इसकी अगली तारीख जुलाई में दे दी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिए जाने के बावजूद चुनाव आयोग की निष्क्रियता एवं पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा और विश्लेषण करने की आवश्यकता है ।

भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे अधिकतर चुनाव आयोग के रूप में संबोधित किया जाता है, एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि लोकसभा/ विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए। 1952 से लेकर अब तक कमोबेश चुनाव आयोग पर बहुत अधिक पक्षपात के आरोप नहीं लगे हैं, किंतु वर्तमान चुनाव आयोग, इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का कार्य और व्यवहार कर रहा है, उसने अपनी स्थिति को हास्यास्पद बना दिया है। चुनाव आयोग को एक प्रकार से भारत सरकार के अधीनस्थ विभाग की हैसियत का बना कर रख दिया है। ऐसा कहने का आधार निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा।

भारत के चुनाव में शुचिता और गरिमा बनाए रखने की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों की सहमति से आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड आफ कंडक्ट चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया था । इसमें चुनाव संबंधी विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया गया है। इसमें विशेषकर इस बात का उल्लेख है कि कोई भी दल या उसका प्रतिनिधि ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे जाति, धर्म या समुदायों के मध्य किसी प्रकार का वैमनस्य या कटुता उत्पन्न हो। सरल भाषा में कहें तो यह कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा एवं न किसी धर्म के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न किया जाएगा।

चुनाव से पूर्व, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता में देशवासियों को आश्वस्त किया था कि जो कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। खेद की बात है कि चुनाव आयोग ने अपना वादा नहीं निभाया।

चुनाव में प्रथम चरण के प्रारंभ से ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आदर्श चुनाव संहिता में उल्लिखित सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए धार्मिक भावनाओं के आधार पर मत प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी भी इससे नहीं चूके। उन्होंने खुलेआम सार्वजनिक मंच से यह कहा कि यदि इंडिया एलाइंस सत्ता में आता है तो वे हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे और उनकी संपत्ति लेकर उन व्यक्तियों को दे दी जाएगी जो घुसपैठिए हैं एवं जिनके बहुत अधिक बच्चे हैं। उनका संकेत स्पष्ट रूप से मुसलमानों के बारे में था। इसका उद्देश्य ध्रुवीकरण करके अधिकाधिक वोट प्राप्त करना था। यह स्पष्ट रूप से मॉडल कोड आफ कंडक्ट की अवहेलना थी। इसकी शिकायत भी विस्तार से काँग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग में की, किंतु इस बारे में प्रधानमंत्री को किसी प्रकार का कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, उनके द्वारा इसके बाद भी अनेक बार ऐसे वक्तव्य, साक्षात्कार और सार्वजनिक मंचों पर प्रचार के दौरान दिए जाते रहे, जो धार्मिक संप्रदायों के बीच में उन्माद फैलाने का काम करें। चुनाव आयोग ने केवल भाजपा एवं कांग्रेस के अध्यक्षों को यह लिखकर अपने कत्तर्व्य की इतिश्री कर ली कि वे अपने स्टार प्रचारकों को मॉडल कोड आफ कंडक्ट का पालन करने के लिए कहें । चुनाव आयोग से यह अपेक्षा थी कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए नामजद नोटिस जारी करता एवं कड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम कुछ समय के लिए उन पर प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाता। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे उसकी साख कम हुई है।

यदि चुनाव आयोग बूथ वार आंकड़े नहीं भी फिलहाल जारी करना चाहे तो उसे एक संसदीय क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े तो तत्काल ही जारी कर देना चाहिए ताकि मतगणना के बाद इन आंकड़ों में किसी प्रकार की हेरा फेरी की संभावना पर रोक लगाई जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया था कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्षी दल के नेता सम्मिलित हों। ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने संसद के माध्यम से कानून पारित करा के एक समिति गठित कर दी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री की थी और सदस्यों के रूप में कानून मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। यह अलग बात है कि अब तक सभी चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते रहे किंतु एक बार संवैधानिक पद पर बैठ जाने के बाद उन्होंने सत्ताधारी दल की परवाह नहीं की। सामान्यतया, चुनाव आयोग पर इस प्रकार के गंभीर आरोप पहले कभी नहीं लगे। चुनाव आयोग की साख टी एन शेषन के समय चरम पर थी। सभी दल उनके नाम से ही डरने लगे थे। उनके बाद आने वाले चुनाव आयुक्तों ने भी चुनाव आयोग की साख को कमोबेश बनाए रखा है। कभी कभार, शिथिलता के मामले सामने आए किंतु वर्तमान चुनाव आयोग ने जिस प्रकार का समर्पण सरकार के समक्ष किया है, वह आश्चर्यजनक है। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आयुक्त बनने के बाद सरकार हटा नहीं सकती है और हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए है अर्थात महाभियोग के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। यह प्रावधान उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ही था।

दूसरा मामला चुनाव आयोग के समर्पण का तब सामने आया जब प्रथम चरण के चुनाव जो कि 19 अप्रैल को हुए, उसके मतदान के आंकड़ों का प्रतिशत 11 दिन बाद 30 अप्रैल को जारी किया गया। आश्चर्य यह है कि चुनाव आयोग ने केवल संसदीय क्षेत्र के मतदान का प्रतिशत ही जारी किया और मतदान करने वालों की संख्या नहीं बताई। चुनाव आयोग को चाहिए था कि वह बूथ वार मतदाताओं की कुल संख्या और मत देने वालों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करता। बार-बार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए गए। ऐसा न करके, चुनाव आयोग एक प्रकार से सरकार की इच्छानुकूल कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग का इस बात पर अड़े रहने से कि वह आंकड़े जारी नहीं करेगा, इन आशंकाओं को बल मिल रहा है कि मतगणना के समय मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हो जाएगा? पाठकों को यह जानना चाहिए कि एक बार परिणाम घोषित होने पर, उसमें कोई भी परिवर्तन चुनाव याचिका के माध्यम से ही उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि कई बार तो निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल ही पूरा हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि जब चुनाव आयोग प्रतिशत बता सकता है तो संख्या क्यों नहीं बता सकता? प्रतिशत भी तो तभी ज्ञात किया जा सकता है जब कुल मतदाताओं की संख्या एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी उपलब्ध हो। बूथ वार आंकड़े निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान के दिन ही रात्रि तक पहुंच जाते हैं (या दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों से अगले दिन), तो फिर इन्हें चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डाल देने में क्या आपत्ति है? उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर, बूथ वार आंकड़े जारी न करने हेतु जो तर्क दिए गए, वे बिल्कुल बेतुके और हास्यास्पद हैं। ये आंकड़े जारी करने से कैसे किसी प्रकार के छेड़छाड़ की संभावना है, यह समझ में नहीं आता। जो सूचना, हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को दे दी गई, उसे वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने में भला चुनाव आयोग को क्या आपत्ति हो सकती है? चुनाव आयोग की यह हठधर्मिता केवल आयोग की अपारदर्शी प्रवृत्ति को ही दर्शाता है और इससे चुनाव की पवित्रता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

यदि चुनाव आयोग बूथ वार आंकड़े नहीं भी फिलहाल जारी करना चाहे तो उसे एक संसदीय क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े तो तत्काल ही जारी कर देना चाहिए ताकि मतगणना के बाद इन आंकड़ों में किसी प्रकार की हेरा फेरी की संभावना पर रोक लगाई जा सके। यह केवल कुतर्क ही है कि चुनाव आयोग ऐसा करने के लिए कानून के अनुसार बाध्य नहीं है।

सामान्यतया प्रत्येक चरण के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें चुनाव संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं एवं उनसे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देकर देशवासियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस चुनाव आयोग ने मतदान प्रारंभ होने के पश्चात एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की । संभव है उन्हें अपनी कमजोरी का आभास हो गया है कि वे किसी भी प्रकार के प्रश्नों का सामना करने में सक्षम और समर्थ नहीं हैं। शायद ऐसा करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ही अनुसरण किया है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की। क्या चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? इस बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वर्तमान चुनाव आयोग रीढ़ विहीन हो चुका है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी होने का कोई सबूत नहीं दिया है। उनके अनुसार भी बूथ वार आंकड़े प्रकाशित न करना एकदम गलत है। यह जानने का अधिकार देशवासियों को है। चुनाव आयोग में थोड़ी बहुत भी नैतिकता और निष्पक्षता बची है तो उसे अब भी कानून की आड़ लेने के बजाय आंकड़े जारी कर देने चाहिए।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग का रवैया इस लोक सभा चुनाव के दौरान प्रत्येक दृष्टि से आश्चर्यजनक रहा है। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा इस का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पहले चरण के मतदान प्रतिशत की सूचना सार्वजनिक करने में 11 दिन क्यों लगे, जबकि बाद के चरणों में ऐसा 3-4 दिन में ही कर दिया गया?

नागरिक संगठनों के दबाव और अधिक बदनामी से बचने के लिए अंततः चुनाव आयोग को संसदीय क्षेत्र वार मतदाताओं की संख्या के आंकड़े 25 मई को जारी करने हेतु बाध्य होना हो पड़ा ।

सत्यमेव जयते !

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कौन बालिग और कौन नाबालिग, शरीर विज्ञान (दैहिक क्रिया) के क्षेत्र को क्या कानून परिभाषित करेगा?

प्रो. वीर बहादुर सिंह

स्वतंत्रता के पूर्व देश रोता था अशिक्षित, मूढ़, अविवेकी बाहुल्य जनता के लिए। परन्तु उसके बाद तो शिक्षा में और विभिन्न क्षेत्रों में विकसित अनुसन्धान और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं के फलस्वरूप बहुत कुछ जानकारी लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अब सुलभ है। जीव विज्ञान व् दैहिक क्रिया विज्ञान में तो देश का सम्पूर्ण मेडिकल शास्त्र विकसित हो चुका है। ऐसे में देश का न्याय तंत्र यदि इस जानकारी को नज़रअंदाज कर किन्ही राजनैतिक अथवा अन्य कारणों से व्यस्क और अवयस्क की परिभाषा न्याय देने के समय ठीक से करने में अशक्षम हो तो फिर हमारी कानून की पढ़ाई ही दोषपूर्ण कही जाएगी।

बात और संधर्व है दो तथाकतिथ नौजवानों ने अपनी कार द्वारा टक्कर से पूना के पास दो लोगों की हत्या कर देना और फिर देश के लचर क़ानून और बिकाऊ जजों की दो हत्याओं को दरकिनार करते हुए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर देना, इस आधार पर कि अभियुक्त अभी नाबालिग हैं क्योंकि उनकी आयु अपराध के समय 18 वर्ष से कुछ महीने कम है इसलिए कानूनन वे सजा के तौर पर जेल की जगह बाल सुधार ग्रह में रहकर वाहन/सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिख कर न्यायलय को पेश करें। वाह! मेरे देश के कर्णधारों मैं आपके ऊपर और आपको दिए गए संस्कारों पर बलिहारी जाऊं।

बालिग अथवा नाबालिग की परिभाषा का आयु से कोई सम्बन्ध नहीं, यह पूर्ण रूप से दैहिकी अथवा फिजियोलॉजी का विषय है। अमूमन जब व्यक्ति जनन करने योग्य हो जाता है तो उसे व्यस्क मान लिया जाता है। इसका आशय बालिग व नाबालिग होना व्यक्ति की उस आयु पर निर्भर करता है जब वह अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम हो अर्थात वह आयु जब लैंगिक दृष्टि से नर प्राणी शुक्राणु पैदा करने लगे जिनसे समागम के बाद मादा में बच्चा बनता है।

पुरुष के वृद्धि काल में एक समय ऐसा आता है जब व्यस्क होने की तरफ अग्रसर होने का प्रथम संकेत होता है। लेकिन इस समय उसे व्यस्क नहीं मान सकते। शनैः शनैः अंडकोष में मौजूद दो टेस्टिस (वृषण) सक्रिय होकर टेस्टोस्ट्रोन हॉर्मोन के प्रभाव से स्पर्म (शुक्राणु) का निर्माण आरम्भ करते हैं, यह हॉर्मोन मष्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के एक स्त्राव से उत्तेजित होकर स्त्रावित होता है। इस अवस्था में बालक को व्यस्क माना जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से नही।

इस बेसिक जानकारी के पश्चात् फिर लौटते हैं मूल विषय यानि, वयस्क और अवयस्क पर। आजकल की प्रयोशालाओं में वीर्य का विश्लेषण करना दस मिनट का कार्य है। मैंने अपने छात्र जीवन में वर्ष 1960-64 के दौरान वीर्य परिक्षण स्वतः अनेक बार किया। माइक्रोस्कोप से मोटिलिटी (शुक्राणुओं की सक्रियता) का पता एक मिनट का जॉब है। इसलिए अब न्यायालयों में भी विज्ञान का सहारा लेकर निर्णय करना उचित होगा। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाएं भी इस कार्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं। वहां उपस्तिथ उपकरण से ही वीर्य जांच भी कर सकते हैं। अतः मेरी क़ानूनविदों, सरकार, न्याय अधिकारिओं और जनता से अपेक्षा है कि सेक्स अथवा लिंग सम्बन्धी विषयों पर बालिग और नाबालिग का पक्ष निश्चित करते समय किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में वीर्य जांच पर अधिक महत्व दें, न कि अशिक्षित अविवेकी क़ानून बनाने वालों पर। पूना प्रकरण में मेरा निश्चित मत है कि सत्रह साल का युवा पूर्ण व्यस्क हो चुका है। शासन सदैव शक्ति से चलता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोज़र तरीका अपराधिओं में खौफ पैदा कर चुका है। यह बात सब जानते हैं कि क़ानून की किसी किताब में यह तरीकवर्णित नहीं है। इसलिए सजा भीषण अपराधों में उदाहरणीय होनी ही चाहिए भले ही संसद इसके लिए क़ानून बनाने को विबश हो। जनप्रतिनिधि सदन में करते क्या हैं अपने मुखिया की हाँ में हाँ मिलाने के सिवाय। क्यों नहीं पुराने कानूनों को नियमावली से डिलीट किया जाय? और आवश्यक संशोधन अथवा नए क़ानून का समावेश सुनिश्चित हो। जाग्रत सदन सदैव सक्रिय रहकर कानूनों में आवश्यक संसोधन करता रहता है, दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं किया जाता? पूना एक्सीडेंट केस में दो व्यक्तिओं की जान चली गयी लेकिन अपराध घटित करने वालों पर कोई शिकन नहीं।

इस केस में अपराधी सभी दृष्टिओं से परिपक्व और वालिग हैं। क़ानून में भले ही आप कुछ भी लिख लें परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से वे बालिग हो चुके हैं। अच्छे खाते-पीते संपन्न परिवार में वयस्कता अपेक्षकृत जल्दी आती है। 14 से 15 वर्ष में बालक बालिग हो जाता है। इस केस में अपराधिओं की वयस्कता उनके बाप की उंची पहुँच, राजनैतिक रशूक़, सीमा से अधिक सम्पन्नता का अहंकार अपराधिओं के व्यस्क होने की गवाही स्वतः दे रहा है और इनसे उपजे अहंकार ही उनके व्यस्क होने का पुख्ता प्रमाण भी है। इसलिए न्याय अधिकारिओं का यह सामाजिक दायुत्व है कि पीड़ित को न्याय अवश्य मिले और खासतौर से अपराधिओं के लिए वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य जुटा कर उदाहरणीय सजा अवश्य मिले। इसी प्रकार योनि अपराधिओं को भी वैज्ञानिक आधार पर साक्ष्य जुटा कर बधियाकरण (वृषण निकाल कर) की सजा का प्रावधान कानूनन कर अपराधी को दण्डित किया जावे। ऐसी सजा से अपराधी के शरीर को कोई अन्यथा नुक्सान नहीं होता वह अपना शेष जीवन काम करते हुए जी सकता है। केवल संतान पैदा करने योग्य नहीं रहता। सजा देकर उसे घर भेजा जा सकता है। पूना एक्सीडेंट मामले में सजा में कोई शिथिलता नहीं बक्शी जानी चाहिए बल्कि सजा ऐसी कि दृष्टांत बने और अन्य समान अपराधों के लिए एक उदाहरण और निवारक साबित हो।

याद रहे यदि इसमें किसी भी प्रकार के अवांछनीय अवरोध या हस्तक्षेप की परणिति आपके किसी सगे-सम्बन्धी पर भविष्य में गुजर सकती है और उस समय आप केवल प्रायश्चित ही करेंगे कुछ और करने के काबिल नहीं रहेंगे।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं खाद्य विज्ञ,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान।

डमी स्कूल: शिक्षा का विकृत रूप?

अशोक कुमार

डमी स्कूल, एक ऐसी अवधारणा जो शिक्षा प्रणाली में एक विकृत रूप के रूप में उभरी है। जहाँ छात्र ना तो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और ना ही उन्हें शिक्षाविषयक ज्ञान प्राप्त होता है। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं, जैसे कि ठ, ऊ, ळइएए, आदि, की तैयारी कराना होता है।

डमी स्कूलों का उदय:

प्रवेश परीक्षाओं का दबाव: प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए कठिन प्रवेश परीक्षाओं ने छात्रों और अभिभावकों पर दबाव डाला है।

नियमित स्कूलों की कमी: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले नियमित स्कूलों की कमी ने डमी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ाया है।

प्रतिस्पर्धात्मक माहौल: अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल ने छात्रों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए डमी स्कूलों का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया है।

डमी स्कूलों के प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:– प्रवेश परीक्षाओं में सफलता: डमी स्कूल प्रवेश परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को केंद्रित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

समय प्रबंधन: प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक संरचित वातावरण और समय सारणी छात्रों को समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद करती है।

अनुशासन और एकाग्रता: डमी स्कूलों का सख्त माहौल छात्रों में अनुशासन और एकाग्रता विकसित करने में सहायक होता है।

नकारात्मक प्रभाव:– शैक्षिक मूल्यों का क्षरण: डमी स्कूलों का एकमात्र ध्यान प्रवेश परीक्षाओं पर केंद्रित होता है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में समग्र शैक्षिक विकास बाधित होता है।

मानसिक तनाव: प्रवेश परीक्षाओं के अत्यधिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों में मानसिक तनाव और चिंता की समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सामाजिक बहिष्कार: डमी स्कूलों में छात्रों के पास सामाजिककरण और व्यक्तित्व विकास के लिए कम अवसर होते हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत महसूस कर सकते हैं।

अनैतिक गतिविधियां: कुछ डमी स्कूल अनुचित साधनों और गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा लेकर छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने का दावा करते हैं।

निष्कर्ष:– डमी स्कूल शिक्षा प्रणाली में एक जटिल मुद्दा हैं। यद्यपि वे प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छात्रों और अभिभावकों को डमी स्कूलों में प्रवेश लेने से पहले उनके सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है ताकि डमी स्कूलों की आवश्यकता कम हो सके।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

चूरू में खाली मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलायें

चूरू, (कासं)। शहर के वार्ड 60 के लोगों ने सोमवार को वार्ड में बिजली-पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलायें खाली मटका लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई।

ज्ञापन के माध्यम से वार्ड पार्षद चंद्रप्रकाश सैनी ने बताया कि वार्ड में दो ट्यूबवेल बने हुए हैं। दोनों ही कई दिनों से खराब पड़े हैं, जिसके कारण वार्ड के घरों में पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। इस संबंध में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता के नाम अधिशाषी अभियंता को पत्र दिया गया था।

- **बिजली-पानी की समस्या को लेकर वार्ड 60 के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा**
- **ज्ञापन में बताया कि वार्ड में दो ट्यूबवेल बने हुए हैं, दोनों ही कई दिनों से खराब पड़े है**

पानी की समस्या को लेकर महिलाये खाली मटके लेकर चूरू कलेक्ट्रेट पहुंची।

अधिशाषी अभियंता द्वारा जल्द उनके स्थान पर दो नए ट्यूबवेल सैंक्शन करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं बिजली की समस्या को लेकर भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि वार्ड में वोल्टेज कम आते हैं, जिसके कारण कूलर पंखे नहीं चल पाते हैं। जिसके कारण वार्डवासियों को इस भीषण गर्मी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन देने वालों में प्रभु सैनी, सुमन, माया देवी, सुमित्रा, मीरा, मंजू, उमेश कुमार सैनी, राहुल, श्रवण कुमार शर्मा, नागरमल सेन, पवन कुमार, मंजू, रुक्मणी, विक्रम, गणेश, सुभाष प्रजापत, भवानी सिंह, रामचंद्र, कुशवाहा, राजूराम सांसी, अजय कुमार, भगवानदास स्वामी, संतोष, छोटी, सिया, सावित्री, परमेश्वरी सहित अनेक महिला-पुरुष उपस्थित थे।

बीकानेर में पारा 48 डिग्री पर पहुंचा

बीकानेर, (निसं)। गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में है। पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया है। हर दिन इसकी तल्खी बढ़ती जा रही है। हवा लू के थपेड़ों में तबदील हो चुकी है। थपेड़े भी ऐसे, जो त्वचा झुलसाने में भी पीछे नहीं रह रहे। आंखों में जलन और पूरा चेहरा भभकता हुआ रहता है। घरों अथवा अपने नियत स्थान पर पहुंच रहा हर शख्स काफी देर तक प्रचंड गर्मी के प्रभाव से दूर नहीं हो पा रहा।

सुस्ती, मिचली आना और पानी की कमी होना जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अभी जबकि नौतपा का तीसरा ही दिन निकला है। सूर्य देव के प्रचंड वार से बेहाल जनमानस और पशुपक्षी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बार अधिकतम पारा कहां जाकर टिकेगा। दोपहर में तो हालात विकट ही रहे। लू के अंगारों के सामने स्थिति बदहाल हो गई। साथ ही अधिकतम तापमान हर एक घंटे में एक साथ दो डिग्री बढ़ता गया। न्यूनतम तापमान भी अधिकतम के पदचिन्हों पर चलते-चलते अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया। सुबह सूर्य निकलने के साथ ही गर्मी तथा लू ने असर दिखाना शुरू किया, तो रात तक भी राहत नहीं मिली।

राशिफल मंगलवार 28 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 9:33 तक, ब्रह्म योग रात्रि 2:06 तक, तैतिल करण दिन 3:24 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरू-वृष, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग दिन 9:33 से आरम्भ होगा। महापात योग सांय 7:52 से रात्रि 1:20 तक रहेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:01 से 10:42 तक, लाभ-अमृत 10:42 से 2:05 तक, शुभ 3:47 से 5:28 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:10

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

कन्या
व्यावसायिक अड़चनें अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।

मकर
परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मीन
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।